न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—49/2024 (2024/122) वाद पत्र

उनवान

1—कंवरी पुत्री बगतावर गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—गहरी पत्नि छोगा गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—गोपी पिता बगतावर गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—चान्दी पत्नि जयराज गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—नंदु पुत्री कनीराम गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—प्यारी पुत्री जैराम गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—बद्रीलाल दत्तक पिता कनीराम गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—मानी पत्नि हजारी गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—मोहन पिता रायमल गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—लच्छु पिता बगतावर गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—लाडु पिता जैराम गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—सन्तु पुत्री जैराम गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13—सोहनलाल पिता रायमल गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—कैलाशचन्द्र पिता रामचन्द्र ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—मांगीलाल पिता हीरालाल कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—अरूण पिता रतनलाल ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—आशा पुत्री रतनलाल ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—ओमप्रकाश पिता जगदीश चन्द्र ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—कमलादेवी पुत्री गणेश ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—दुर्गादेवी पत्नि जगदीश चन्द्र ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—बाबुलाल पिता जगदीश चन्द्र ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—मंजु पुत्री गणेश ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—रेखा पुत्री जगदीश चन्द्र ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—राजीदेवी पत्नि रतनलाल ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—सुरेन्द्र पिता गणेश ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13—निर्मल पिता रतनलाल ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14—पुष्पादेवी पुत्री गणेश ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — वादीगण अधिवक्ता

निर्णय दिनांक—01.08.2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम कारोल पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर की साबिक खाता संख्या 42 में अंकित आराजी संख्या 10/1 रकबा 16 बीघा भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है जो वादीगण के पूर्वज के

नाम दर्ज रेकार्ड है तथा इसी तरह प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की साबिक कृषि आराजियात संख्या 10 / 2 रकबा 8 बीघा भूमि उनके पूर्वज के नाम पर दर्ज रेकार्ड है तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 14 की साबिक कृषि आराजियात संख्या 10 / 2क रकबा 8 बीघा भूमि उनके पूर्वज के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो ने उक्त भूमिया करीब 80 वर्ष पहले एक ही खातेदार से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिसका मूल आराजी नम्बर 10 रकबा 32 बीघा था तब से उक्त भूमियों पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज अपनी अपनी क्रय शुदा भूमियों पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा उनके बाद वादीगण एव प्रतिवादीगण अपनी अपनी भूमी पर काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे हैं परंतु साबिक राजस्व नक्शा में साबिक आ.स 10 के बटा नम्बर को तरमीम नहीं किया गया था। तहसील रायपुर में भुप्रबंध होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण की साबिक कृषि आराजियात 10 / 1 रकबा 16 बीघा के नवीन नम्बर आ.स. 23 रकबा 3.46 हैक्ट. साबिक आ.स. 10 / 2 रकबा 8 बीघा के नवीन नम्बर 29 रकबा 1.73 हैक्ट. साबिक आ.स 10 / 2क रकबा 8 बीघा के नवीन आ.सं. 22 रकबा 1.73 हेक्ट. कायम किए गए। प्रमाण में वर्तमान जमाबंदी एव मिलान क्षेत्रफल की नकल वादपत्र के साथ पेश की हैं। भुप्रबंध के दौरान भुप्रबंध विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण की साबिक आराजियात के नवीन नम्बर एवं रकबा को जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल में तो सही कायम किया गया परंतु वादीगण की नवीन आराजी सख्या 23 रकबा 3.46 हेक्ट. को नवीन नक्शे में वादीगण की कब्जेशुदा जमीन से हटाकर प्रतिवादीगण की कब्जेशुदा जमीन के स्थान पर दर्ज कर दिया तथा वादीगण की कब्जे शुदा जमीन के स्थान पर प्रतिवादीगण की आ. स. 22 रकबा 1.73 हैक्ट व आ.स. 29 रकबा 1.73 हैक्ट को दर्ज कर दिया गया जो गलत होकर अवैध हैं। भुप्रबंध विभाग को बिना किसी विधिक आदेश के वादीगण एवं प्रतिवादीगण की भूमी को कब्जे के विपरीत तरमीम करने का कोई अधिकार नहीं हैं जिससे वादीगण की नवीन आ.सं. 23 को नवीन नक्शे मे प्रतिवादीगण की आ.सं. 22 व 29 के स्थान पर आ.स. 23 / 1 रकबा 1.73 हैक्ट व आ.स. 23 / 2 रकबा 1.73 हैक्ट. के रूप में तरमीम करने तथा राजस्व जमाबंदी में आ.स. 23 रकबा 3.46 हेक्ट. के स्थान पर आ.सं. 23 / 1 रकबा 1.73 हैक्ट व आ.स. 23 / 2 रकबा 1.73 हैक्ट. तरमीम करने व नवीन नक्शे में वादीगण की आ.स 23 के स्थान पर उत्तरी पूर्वी भाग में प्रतिवादी संख्या एक व दो की आ.स. 29 रकबा 1.73 हैक्ट. को तरमीम करने व नवीन नक्शे में आ.सं. 23 के उत्तरी पश्चिमी भाग में प्रतिवादी संख्या तीन से चौदह की नवीन आ.सं 22 रकबा 1.73 हैक्ट को तरमीम करने की इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाया जाना न्यायोचित हो गया है। अतः श्रीमान से सादर निवेदन है कि बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की इन्द्राज दुरुस्ती की घौषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जाए कि ग्राम कारोल प०ह० बागड में स्थित वादीगण की खाता संख्या 47 में अंकित आ.स. 23 रकबा 3.46 हैक्ट. को नवीन नक्शा में प्रतिवादी संख्या एक से दो की नवीन आ.सं. 29 रकबा 1.73 हैक्ट. के स्थान पर 23 / 1 रकबा 1.73 हैक्ट. व प्रतिवादी संख्या तीन से चौदह की नवीन आ.सं. 22 के स्थान पर 23 / 2 रकबा 1.73 हैक्ट. तरमीम करने व राजस्व जमाबंदी में वादीगण की आ.सं. 23 रकबा 3.46 हैक्ट. के स्थान पर 23 / 1 रकबा 1.73 हैक्ट. व आ.सं. 23 / 2 रकबा 173 हैक्ट. तरमीम करने तथा प्रतिवादी संख्या एक से दो की नवीन आ.सं. 29 रकबा 1.73 हैक्ट. को नवीन नक्शे में वादीगण की नवीन आ.स. 23 के उत्तरी पूर्वी भाग में रकबा 1.73 हैक्ट. तरमीम करने तथा प्रतिवादी संख्या तीन से चौदह की नवीन आ.सं. 22 रकबा 1.73 हैक्ट. को नवीन नक्शे में वादीगण की आ.स. 23 के पश्चिमी उत्तरी भाग में रकबा 1.73 हेक्ट. तरमीम करने की डिक्री सादिर जारी फरमाई जाए तदानुसार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 15 को प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादीगण की ओर अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 9 फौरमल पक्षकार है।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकन किया गया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार करते काउन्टर क्लेम में अंकन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी साबिक कृषि आराजियात ग्राम कारोल में साबिक खाता संख्या 42में अंकित आराजी संख्या 10 / 1 रकबा 16 बीघा भूमि अन्य आराजियात के स्थित हैं, इसी तरह प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की साबिक कृषि आराजियात संख्या 10 / 2 रकबा 8 बीघा भूमि उनके पूर्वज के नाम पर दर्ज रेकार्ड है तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 14 की साबिक कृषि आराजियात संख्या 10 / 2क रकबा 8 बीघा भूमि उनके पूर्वज के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो ने उक्त भूमिया करीब 80 वर्ष पहले एक ही खातेदार से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिसका मूल आराजी नम्बर 10 रकबा 32 बीघा था तब से उक्त भूमियों पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज अपनी अपनी क्रय शुदा भूमियों पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा उनके बाद वादीगण एव प्रतिवादीगण अपनी अपनी भूमी पर काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे हैं परंतु साबिक राजस्व नक्शा में साबिक आ.स 10 के बटा नम्बर को तरमीम नहीं किया गया था। भुप्रबंध के दौरान भुप्रबंध विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण की साबिक आराजियात के नवीन नम्बर एवं रकबा को जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल में तो सही कायम किया गया परंतु वादीगण की नवीन आराजी सख्या 23 रकबा 3.46 हेक्ट. को नवीन नक्शे में वादीगण की कब्जेशुदा जमीन से हटाकर प्रतिवादीगण की कब्जेशुदा जमीन के स्थान पर दर्ज कर दिया तथा वादीगण की कब्जे शुदा जमीन के स्थान पर प्रतिवादीगण की आ. स. 22 रकबा 1.73 हैक्ट व आ.स. 29 रकबा 1.73 हैक्ट को दर्ज कर दिया गया जो गलत होकर अवैध हैं। भुप्रबंध विभाग को बिना किसी विधिक आदेश के वादीगण एवं प्रतिवादीगण की भूमी को कब्जे के विपरीत तरमीम करने का कोई अधिकार नहीं हैं जिससे वादीगण की नवीन आ.सं. 23 को नवीन नक्शे मे प्रतिवादीगण की आ.सं. 22 व 29 के स्थान पर आ.स. 23 / 1 रकबा 1.73 हैक्ट व आ.स. 23 / 2 रकबा 1.73 हैक्ट. के रूप में तरमीम करने तथा राजस्व जमाबंदी में आ.स. 23 रकबा 3.46 हेक्ट. के स्थान पर आ.सं. 23 / 1 रकबा 1.73 हैक्ट व आ.स. 23 / 2 रकबा 1.73 हैक्ट. तरमीम करने व नवीन नक्शे में वादीगण की आ.स 23 के स्थान पर उत्तरी पूर्वी भाग में प्रतिवादी संख्या एक व दो की आ.स. 29 रकबा 1.73 हैक्ट. को तरमीम करने व नवीन नक्शे में आ.सं. 23 के उत्तरी पश्चिमी भाग में प्रतिवादी संख्या तीन से चौदह की नवीन आ.सं 22 रकबा 1.73 हैक्ट को तरमीम करने की इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाया जाना न्यायोचित हो गया है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर तरमीम किया जाने का आदेश प्रतिवादी संख्या 15 को प्रदान फरमाया जाए।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं हाल रेकार्ड एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब व काउन्टर क्लेम का गभींरता पूर्वक अध्ययन किया तो पाया कि वादीगण साबिक आराजी संख्या 10 / 1 रकबा 16 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की साबिक आराजी संख्या 10 / 2 रकबा 8 बीघा के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 14 की साबिक आराजी संख्या 10 / 2क रकबा 8 बीघा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार मौके पर काबिज है किन्तु नवीन भू प्रबन्ध के दौरान भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारियो कार्मिको के द्वारा पक्षकारान के मौका स्थिति के अनुसार नवीन नम्बर

कायम नही कर मौका स्थिति से विपरीत नम्बर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिये गये है। नवीन राजस्व रेकार्ड में पक्षकारान के नाम दर्ज आराजियात के काबिज नही होकर प्रतिवादीगण काबिज है। राजस्व जमाबन्दी में जो भूमि पक्षकारान के नाम दर्ज है उसी अनुसार राजस्व नक्शे में दर्ज नम्बरान पर खातेदारान का कब्जा होने पर ही रेकार्ड और मौके में एकरूपता रहती है जबकि इस प्रकरण में भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा रेकार्ड और मौके की स्थिति में एकरूपता नही कर मौका स्थिति के विपरीत नम्बरदांजी कर नवीन नम्बर कायम कर दिये गये है जिससे पक्षकरान के मौका स्थिति अनुसार एवं कब्जे के अनुसार भूमि दर्ज करते हुए इन्द्राज दुरस्ती की जाना है।

उपरोक्त प्रकरण में वादवर्णित भूमि को लेकर दोनो पक्षो के मध्य कोई विवाद नही है और मौके पर जिस प्रकार उभयपक्ष काबिज है उसी अनुसार भूमि राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराने का वाद व प्रतिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है जिससे प्रस्तुत वाद व काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकार्ड में मौका स्थिति के अनुसार भूमि पक्षकारो के नाम दर्ज करते हुए इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अनुसार ग्राम कारोल प०ह० बागड में स्थित वादीगण की खाता संख्या 47 में अकित आ.स. 23 रकबा 3.46 हैक्ट. को नवीन नक्शा में प्रतिवादी संख्या एक से दो की नवीन आ.सं. 29 रकबा 1.73 हैक्ट. के स्थान पर 23 / 1 रकबा 1.73 हैक्ट. व प्रतिवादी संख्या तीन से चौदह की नवीन आ.सं. 22 के स्थान पर 23 / 2 रकबा 1.73 हैक्ट. तरमीम करने व राजस्व जमाबंदी में वादीगण की आ.सं. 23 रकबा 3.46 हैक्ट. के स्थान पर 23 / 1 रकबा 1.73 हैक्ट. व आ.सं. 23 / 2 रकबा 1.73 हैक्ट. तरमीम करने तथा प्रतिवादी संख्या एक से दो की नवीन आ.सं. 29 रकबा 1.73 हैक्ट. को नवीन नक्शे में वादीगण की नवीन आ.स. 23 के उत्तरी पूर्वी भाग में रकबा 1.73 हैक्ट. तरमीम करने तथा प्रतिवादी संख्या तीन से चौदह की नवीन आ.सं. 22 रकबा 1.73 हैक्ट. को नवीन नक्शे में वादीगण की आ.स. 23 के पश्चिमी उत्तरी भाग में रकबा 1.73 हेक्ट. राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराजसिंह चुण्डावत)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
[illegible] जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–49 / 2024 (2024 / 122) वाद पत्र

उनवान

1–कंवरी पुत्री बगतावर गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–गहरी पत्नि छोगा गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–गोपी पिता बगतावर गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–चान्दी पत्नि जयराज गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–नंदु पुत्री कनीराम गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–प्यारी पुत्री जैराम गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–बद्रीलाल दत्तक पिता कनीराम गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–मानी पत्नि हजारी गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9–मोहन पिता रायमल गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10–लच्छु पिता बगतावर गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11–लाडु पिता जैराम गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12–सन्तु पुत्री जैराम गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13–सोहनलाल पिता रायमल गुर्जर निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–कैलाशचन्द्र पिता रामचन्द्र ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–मांगीलाल पिता हीरालाल कुम्हार निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–अरूण पिता रतनलाल ब्राहम्ण निबासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–आशा पुत्री रतनलाल ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–ओमप्रकाश पिता जगदीश चन्द्र ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–कमलादेवी पुत्री गणेश ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–दुर्गादेवी पत्नि जगदीश चन्द्र ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–बाबुलाल पिता जगदीश चन्द्र ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9–मंजु पुत्री गणेश ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10–रेखा पुत्री जगदीश चन्द्र ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11–राजीदेवी पत्नि रतनलाल ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12–सुरेन्द्र पिता गणेश ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13–निर्मल पिता रतनलाल ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14–पुष्पादेवी पुत्री गणेश ब्राहम्ण निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अनुसार ग्राम कारोल प०ह० बागड में स्थित वादीगण की खाता संख्या 47 में अकित आ.स. 23 रकबा 3.46 हैक्ट. को नवीन नक्शा में प्रतिवादी संख्या एक से दो की नवीन आ.सं. 29 रकबा 1.73 हैक्ट. के स्थान पर 23 / 1 रकबा 1.73 हैक्ट. व प्रतिवादी संख्या तीन से चौदह की नवीन आ.सं. 22 के स्थान पर 23 / 2 रकबा 1.73 हैक्ट. तरमीम करने व राजस्व जमाबंदी में वादीगण की आ.सं. 23 रकबा 3.46 हैक्ट. के स्थान पर 23 / 1 रकबा 1.73 हैक्ट. व आ.सं. 23 / 2 रकबा 1.73 हैक्ट. तरमीम करने तथा प्रतिवादी संख्या एक से दो की नवीन आ.सं. 29 रकबा 1.73 हैक्ट. को नवीन नक्शे में वादीगण की नवीन आ.स. 23 के उत्तरी पूर्वी भाग में रकबा 1.73 हैक्ट. तरमीम करने तथा प्रतिवादी संख्या तीन से चौदह की नवीन आ.सं. 22 रकबा 1.73 हैक्ट. को नवीन नक्शे में वादीगण की आ.स. 23 के पश्चिमी उत्तरी भाग में रकबा 1.73 हेक्ट. राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 01.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)